कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।

प्रशासनिक आदेश संख्या 07 /2024.

दिनांकितः जनवरी 06 , 2024.

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय हेतु प्रचारित वार्षिक अवकाश कैलेण्डर–2024 की टिप्पणी के प्रस्तर–3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष मे वार्ता के दौरान अध्यक्ष/महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन एवं जनपद बार एसोसिएशन द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर तथा जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर द्वारा जारी वर्ष–2024 की अवकाश सूची को संज्ञान में रखते हुए निम्नलिखित पांच तिथियों को जनपद न्यायालय सन्त कबीर नगर में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता हैं।

दिनांकः– 15.01.2024 सोमवार	**मकर संक्रान्ति**
दिनांकः– 05.04.2024 शुक्रवार	**जमात–उल–विदा**
दिनांकः– 19.08.2024 सोमवार	**रक्षाबन्धन**
दिनांकः– 16.09.2024 सोमवार	**बारावफात**
दिनांक:– 31.10.2024 गुरूवार	**दीपावली**

वार्षिक अवकाश कैलेण्डर– 2024 में होली अवकाश दिनांक–24.03.2024 एवं दशहरा अवकाश दिनांक 13.10.2024 दिन रविवार को घोषित है। कैलेण्डर की टिप्पणी के प्रस्तर–7 में दिये गये दिशा–निर्देश के अन्तर्गत दिनांक–24.03.2024 के स्थान पर **दिनांक–26.03.2024, होली तथा** दिनांक 13.10.2024 के स्थान पर **दिनांक 14.10.2024, दशहरा** के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता हैं।

तदनुसार, उक्त आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण के मध्य परिचालित की जाये एवं आदेश की प्रति सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

सभी सम्बंधित सूचित हों।

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जनपद न्यायाधीश
सन्त कबीर नगर।

पत्रांकः– 37/I-(13) /संoकoनo/दिनांकितः– जनवरी 06 ,2024.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सन्त कबीर नगर।
3. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना एवं दावा अधिकरण, सन्त कबीर नगर।
4. जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर।
5. पुलिस अधीक्षक, सन्त कबीर नगर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त कबीर नगर।
7. अधीक्षक, जिला कारागार, सन्त कबीर नगर।
8. अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
9. अध्यक्ष, जनपद बार एसोसिएशन, सन्त कबीर नगर।
10. अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन, सन्त कबीर नगर।
11. जिला सूचना अधिकारी, सन्त कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित कि इस आदेश की सूचना निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रसारित करें।
12. केन्द्रीय नाजिर को इस निर्देश के साथ कि न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
13. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

जनपद न्यायाधीश
सन्त कबीर नगर।

S.A. to do need full
09/01/24